झारखण्ड सरकार

**झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।**

पत्रांकः– रा०खा०आ० –(शि०) दुमका/PDS-02-2023 – 09

प्रेषक,

**हिमांशु शेखर चौधरी**
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

सेवा में,

**प्रधान सचिव**
खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांकः– 05 / 01 / 2023

विषयः– **दुमका जिले के सदर प्रखण्ड के लाभुकों को अनाज नहीं मिलने संबंधी प्राप्त सूचना पर कार्रवाई के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सोशल मीडिया से दुमका जिले के सदर प्रखण्ड के लाभुकों को अनाज नहीं मिलने संबंधी सूचना आयोग को प्राप्त हुई है। प्राप्त सूचना के अनुसार अनाज नहीं मिलने के कारण लाभुकों द्वारा रिंग रोड जाम कर दिया गया था। उक्त मामले की गंभीरता को देखते हुए दुमका के जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी से मामले के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट करने के लिये दूरभाष पर निदेश दिया गया। जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सदर प्रखण्ड में अब तक दिसम्बर माह का अनाज नहीं पहुँचा। इस कारण उक्त अनाज PDS वितरकों को उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। फलस्वरूप लाभुकों को दिसंबर माह का अनाज नहीं मिल पाया है।

उल्लेखनीय है कि माह दिसंबर व्यतीत हो चुका है, इसके बावजूद अबतक प्रखण्ड के गोदाम में अनाज नहीं पहुँच पाना खेदपूर्ण स्थिति है। स्पष्ट है कि जनवितरण प्रणाली का अनाज झारखण्ड राज्य खाद्य निगम द्वारा ससमय उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। इससे पूर्व भी कई अन्य मामलों में इस प्रकार की स्थिति देखने को मिली है, जिसके संबंध में आयोग द्वारा समय–समय पर विभाग को अवगत कराया जाता रहा है। झारखण्ड राज्य खाद्य निगम की लापरवाही का खामियाजा लाभुकों को भुगतना पड़ रहा है, जो उचित नहीं है। माह समाप्त होने के बाद PDS में अनाज भेजे जाने से अनाज के कालाबाजारी की संभावना में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कार्रवाई हेतु संबंधितों को निदेशित करने की कृपा की जाय, ताकि लाभुकों को ससमय एवं निर्बाध रूप से अनाज उपलब्ध हो सके।

विश्वासभाजन

05/01/2023

**(हिमांशु शेखर चौधरी)**
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Letter.docx261